विनि. 24

आश्रित हितलाभ के लिए जीवन प्रमाण-पत्र

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

(विनियम 107 क)

मृत बीमाकृत व्यक्ति का नाम _____ बीमा संख्या

मैं,_____ उपर्युक्त मृत बीमाकृत व्यक्ति का आश्रित होने के नाते यह घोषणा कर्ता हूँ/ करती हूँ कि :-

*i) मैंने विवाह/ पुनर्विवाह नहीं किया है। (केवल महिला आश्रितजन द्वारा भरा जाए)
*ii) मैं अठारह वर्ष की आयु का नहीं हुआ/हुई हूँ। (केवल अठारह वर्ष से कम आयु के पुरुष व महिला द्वारा भरा जाए)
*iii) मैं पच्चीस वर्ष की आयु का हो गया हूँ किन्तु मैं अभी भी शिथिलांग हूँ।
(केवल धर्मज/दत्तक शिथिलांग पुत्र या दत्तक/धर्मज शिथिलांग पुत्री द्वारा भरा जाए। यदि आवश्यक हो तो निर्धारित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।)

वर्तमान पत्र _____

_____
आश्रितजन के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
या

दिनांक _____ _____

अवयस्क आश्रितजन के मामलें में संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठें का निशान

हस्ताक्षरकर्ता दावेदार
का नाम साफ अक्षरों में

अवयस्क का नाम के द्वारा
(उसके संरक्षक का नाम)

_____
(अवयस्क के साथ नातेदारी)

प्रमाणपत्र

** प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____जो _____की विधवा/पुत्र/पुत्री है _____ तारिक को जैविक है और ऊपर की गई घोषणाएँ मेरी सर्वोत्तर जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

तारीख_____

अनुप्रमाणन प्राधिकारी की रबड़ की मोहर या मुद्रा व नाम साफ अक्षरों में

हस्ताक्षर _____

पदनाम _____

जो लागु हो उसे काट दें।

यह प्रमाण-पत्र (1) सरकार के राजस्व न्यायिक या मजिस्ट्रेट विभाग के किसी अधिकारी या (2) नगर पालिका आयुक्त मा (3) कर्मकार प्रतिकर आयुक्त या (4) ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा पंचायत की शासकीय मुद्रा लगा करके या (5) विधायक (सांसद या (6) केन्द्रीय / राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी (7) क.रा.बी. निगम के क्षेत्रीय बोर्ड / स्थानीय समिति के सदस्य मा (8) संबंधित शाखा प्रबंधक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य अधिकारी द्वारा दिया जाए।

महत्वपूर्ण: कोई व्यक्ति घाले अपने लिए या अन्य व्यक्ति के लिए, प्रसुविधा अभिप्राप्त करने के प्रयोजन से मिथ्या कथन या मिथ्याव्यपदेशन करेगा अपने को अभियोजन के लिए जिम्मेदार ठहरायेगा अर्थात 2000/- रूपये तक जुर्माना या 6 महीने तक का कारावास अथवा दोनों ही दंड दिए जा सकते है।